अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/216

1. बाबूलाल आत्मज गेंदी लाल जी ।
2. बालचन्द आत्मज गेन्दी लाल जी ।
3. लालचन्द आत्मज गेन्दी लाल जी ।
4. रमेश आत्मज गेन्दी लाल जी ।
5. गुलाब बाई पुत्री गेन्दी लाल जी ।
6. कमला बाई बेवा गेन्दी लाल जी जाति कहार निवासीगण ग्राम केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2014 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 81/दावा/2010

1. गेंदी लाल पुत्र श्री भैरूबक्श जाति कहार निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. बाबूलाल आत्मज गेंदी लाल आयु 40 वर्ष जाति कहार ।

1/2. बालचन्द आत्मज गेन्दी लाल आयु 35 वर्ष जाति कहार ।
1/3. लालचन्द आत्मज गेन्दी लाल आयु 33 वर्ष जाति कहार ।
1/4. रमेश आत्मज गेन्दी लाल आयु 30 वर्ष जाति कहार ।
1/5. गुलाब बाई पुत्री गेन्दी लाल आयु 35 वर्ष जाति कहार ।
1/6. कमला बाई बेवा गेन्दी लाल जी आयु 65 वर्ष जाति कहार निवासीगण ग्राम केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 18.09.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खरिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2014 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 18.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

18/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/216

1. बाबूलाल आत्मज गेंदी लाल जी ।
2. बालचन्द आत्मज गेन्दी लाल जी ।
3. लालचन्द आत्मज गेन्दी लाल जी ।
4. रमेश आत्मज गेन्दी लाल जी ।
5. गुलाब बाई पुत्री गेन्दी लाल जी ।
6. कमला बाई बेवा गेन्दी लाल जी जाति कहार निवासीगण ग्राम केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मृतक गेन्दीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88,एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 1951 की 0.77 हैक्टर व खसरा नम्बर 2009 की 0.42 हैक्टर कुल 02 किता की 1.19 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.1980 को श्रीमती अजीजा खातून से क्रय की थी तब से ही वादी का उक्त भूमि पर कब्जा निरन्तर चला आ रहा है । हीरालाल की विधवा ने दिनांक 07.07.79 को एक वाद अन्तर्गत धारा 89, 91 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी का अजीजा खातून जिससे वादी ने भूमि क्रय की थी उसके विरूद्ध किया था और उक्त वाद में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार लाडपुरा को उक्त आराजी का रिसीवर नियुक्त किया गया था जिसकी अपील न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की गयी जो खारिज हो गई । हीरा जी की विधवा द्वारा पेश मूल वाद खारिज हो गया है इसलिए 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आदेश भी खारिज होने के कारण प्रभावशून्य हो गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे । पुराने वाद का आदेश जो वाद खारिज होने के कारण प्रभावशून्य हो गया है उसके द्वारा नियुक्त तहसीलदार लाडपुरा को रिसीवर से हटाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2014 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट मृतक वादी के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम करने के बावजूद भी तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता व पति गेन्दी लाल ने दिनांक 03.07.80 को श्रीमती अजीजा खातून से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से ही उक्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता व पति राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार दर्ज चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्ट द्वारा भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा होना स्वीकार किया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दावा खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता एवं पति गेन्दी लाल ने दिनांक 03.07.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अजीजा खातून से क्रय की थी और कब्जा प्राप्त किया था तब से ही इस आराजी पर अपीलान्ट के पिता एवं पति गेन्दीलाल जी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा स्वीकार किया गया है इसके बावजूद दावा खारिज किया गया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । तनकीयात कायम नहीं की गई हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.07.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैर खातेदारी की भूमि का विक्रय अवैध है इस विक्रय के आधार पर अपीलान्ट को इस आराजी में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2014 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 पेश की गई है जिसमें वादग्रस्त आराजी गेन्दीलाल के गैर खातेदारी में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है और नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1587/1223 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि नोनी बेवा हीरा के गैर खातेदारी में दर्ज है और उसमें नोट अंकित है कि दिनांक 30.07.82 के अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश अनुसार वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज की गई है । पत्रावली पर विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार अजीज खातून ने आराजी खसरा नम्बर 1223/5/5 की 01 बीघा 06 बिस्वा और खसरा नम्बर 1223/6/6 की 03 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1223/5/4 की 07 बीघा 09 बिस्वा आराजी गेन्दीलाल को विक्रय किया जाना अंकित किया है ।

10. अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा अजीजा खातून से क्रय की थी । पत्रावली पर जो विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की गई है वो न तो प्रमाणित प्रति है और न ही उसे प्रदर्श करवाया गया है और दूसरा उसमें अंकित साबिक खसरा नम्बरान का हाल वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 1951 और 2009 के साबिक खसरा नम्बरान से मिलान नहीं हो रहा है । हाल खसरा नम्बर 1951 और 2009 के साबिक खसरा नम्बर 1587/1223 अंकित किये गये हैं जबकि विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 1223/5/5, 1223/6/6 एंव 1223/5/4 अंकित किये गये हैं । इस विक्रय पत्र में यह अंकित है कि यह आराजी हीरा वल्द छीतर लाल से क्रय की । पत्रावली पर साबिक खसरा नम्बर 1287/1223 की जो नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 पेश की गई है उसमें नोनी बेवा हीरा इस आराजी की गैर खातेदार दर्ज है और उसमें यह नोट अंकित है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 30.07.1982 से आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज हो चुकी है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 30.07.1982 से सरकारी सिवायचक दर्ज हो चुकी है । वैसे भी गैर खातेदार को आराजी का विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी विधिक रूप से खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खरिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2014 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा